COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES Rs.20
5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रिव्यु / 3129 / II / 15

प्रकरण क्रमांक रिव्यु —दो / 15

रामचरण तनय श्रीराम कृपाल राजपूत मृतक

वारिसान :—

1— सुम्मेर सिंह पुत्र स्व0 रामचरण राजपूत

2— लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 रामचरण राजपूत

3— श्रीमती विद्या बाई पत्नी स्व0 रामचरण राजपूत

4— तेजकुमारी पुत्री स्व0 रामचरण राजपूत

निवासीगण मझगवा सरकार तह0 गुनौर

जिला पन्ना म0प्र0

—— आवेदकगण

श्री श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एड द्वारा आज दि 15/9/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

15/9/15

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदक

रिव्यु आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 51, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता,1959 बावत् माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 1628—दो / 2008, रामचरण राजपूत विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 11.4.2011 के संबंध में।

श्रीमान न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से रिव्यु आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नाविलोकन 3129/दो/2015 जिला– पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-6-16	यह पुर्नाविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1628–दो/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.04.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुनौर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मझगुवां सरकार स्थित शासकीय बंजर दर्ज भूमि खसरा नं. 752 रकवा 0.67 है0, खसरा नं. 753 रकवा 2.15 है0, खसरा नं. 755 रकवा 1.12 है0 खसरा नं. 757 रकवा 0.48 है0 पर आवेदक का उसके पिता के समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अतः संहिता की धारा 57 (2) के अन्तर्गत उसे बाद भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किये जाये उक्त आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 13.12.2005 को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर पन्ना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 17.04.2007 से निरस्त की गयी। तत्पश्चात् कमिश्नर सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 19.09.2008 से निरस्त की गयी। इसके बाद आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1628/दो/2008 प्रस्तुत	

किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2011 से निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह वर्तमान पुर्नाविलोकन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि विवादित भूमि पर आवेदक का उनके पूर्वजो के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, इस कारण आवेदक का विरोधी कब्जा के आधार पर विवादित आराजी के स्वत्व निहित हो गया है और विरोधी कब्जा के आधार पर भूमि स्वामी स्वत्वाधिकारी व अधिपत्य धारी है। तथा विवादित आराजी में आवेदक का लगातार कब्जे के संबंध में सर्व साधारण व शासन के कर्मचारियो व अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि आवेदक का लगातार कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उसे भूमि के प्रति अधिकार प्राप्त हो चुका है ओर आवेदक का विवादित आराजी में मालिक होना प्रमाणित है। आवेंदक का विवादित आराजी में सन् 1955-56 से कब्जा रहा है और विवादित आराजी वर्ष 1964-65 में शासकीय अभिलेख में वर्ष 1970 तक बंजर दर्ज रही आयी इसके बाद आवेदक को बगैर बताये एवं जानकारी दिये बगैर गौचर दर्ज कर दी गयी। लेकिन यह खसरे की प्रविष्टी में कही उल्लेख नहीं है कि गौचर कब किस समय किस अधिकारी के आदेश से कि गयी है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता यही उपधारणा होगी कि 'विवादित आराजी बंजर ही है बंजर भूमि में आवेदक का लगातार 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा प्रमाणित है और कब्जा प्रमाणित होने पर आवेदक विवादित आराजी का भूमि स्वामी व अधिपत्य

धारी हो चुका है और स्वमेव स्वत्व अधिकारी के अधिकार अर्जित हो चुके है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये है वह अपास्त किये जाये एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पादित कि जाकर जो आदेश पारित किये है, विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 57 (2) का इस आधार पर अमान्य किया है, कि जिन अधिकारो का अस्तित्व संहिता के प्रवृत होने से समय रहा हो इस धारा के तहत् नवीन अधिकार नहीं दिये जा सकते अपितु 02.10.1959 को विद्यमान अधिकारो को ही मान्यता दी जा सकती है। आलोच्य प्रकरण में आवेदक यह सिद्व करने मे पूर्णतः असफल रहा है कि संहिता के प्रवृत होने से समय उसके पक्ष में किसी भी प्रकार के अधिकार विद्यमान थे। इस संबंध में आवेदक की ओर से जयराम राजपूत पिता राममिलन का कथन कराया है जिसमें उसके द्वारा आवेदकगण को विवादित भूमि पर 20-25 वर्षो से खेती करता देखा है एक अन्य साक्षी मुलुवा पिता बहादुरा ने अपने कथन में

स्वीकार किया है, कि विवादित भूमि पर आवेदकगण के पिता रामचरण का विगत 50 वर्षो से भूमि पर कब्जा है तथा उनके द्वारा कास्त की जाती है प्रकरण में कार्यालय ग्राम पंचायत मझगवां सरकार जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना का प्रमाणीकरण संलग्न है। जिसमें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया है कि उपरोक्त विवादित आराजी पर रामचरण पिता रामकृपाल राजपूत का कब्जा फसल वो जोत कर चला आ रहा है। उक्त प्रमाणीकरण में सरपंच ग्राम पंचायत के अलावा 17-18 ग्राम वासियों के हस्ताक्षर बने है नायब तहसीलदार अमानगंज द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 22.10.2002 को प्रस्तुत किया था जिसमें विवादित भूमि पर आवेदक का वर्ष 1965-66 से कब्जा बताया गया है इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य तथा दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आवेदक का 50 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है खसरा वर्ष 1950-51 में आवेदक के बड़े पिता अर्थात् चाचा इन्द्रजीत राजपूत का नाम संहिता की प्रवृत होने के पूर्व आराजी के कॉलम नं. 5 में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहा है इस आधार पर आवेदक के पूर्वज का संहिता की प्रवृत होने के पूर्व स्वत्व स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार आवेदक के पूर्वजो का विवादित भूमि पर लगातार कब्जा फसल बोकर शांति रूप से चला आ रहा है। इस संबंध में वर्ष 1956 से लेकर 2000 तक की खसरे प्रस्तुत किये गये है जिनपर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, विधिवत् नहीं है। यहॉ तक कलेक्टर जिला पन्ना के आदेश का प्रश्न है तो उन्होने आवेदक की ओर से हक संबंधी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निगरानी निरस्त

की है जबकि आवेदक की ओर से संहिता की धारा 57 (2) के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। किन्तु उपरोक्त दस्तावेजो पर कलेक्टर जिला पन्ना एवं कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा विधिवत् विचार कर आदेश पारित नहीं किया है, इसी क्रम में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2011 पारित किया है, जो विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1628–दो/2008 पारित आदेश दिनांक 11.04.2011 कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 254/बी–121/06–07 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2008 एवं कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/06–07 पारित आदेश दिनांक 17.04.2007 एवं अनुविभागीय अधिकारी गुनोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–01/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2005 विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम विधिवत् रुप से दर्ज करें। तदनुसार यह वर्तमान पुर्नाविलोकन प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

सदस्य